कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 3566 / 1140 / आउशि / सम. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30-12-22

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :– **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा भोपाल द्वारा निबंध प्रतियोंगिता–2022 के आयोजन के संबंध में ।**

संदर्भ :– सचिव भारतीय लोक प्रशासन संस्थान मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा कक्ष क्रमांक 3 आर. सी.व्ही पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी 1100 क्वार्टरस भोपाल का पत्र क्रमांक 166 / भा.लो प्रसं. / 2022 दिनांक 19.12.2022

–––00–––

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है । उक्त पत्र में लेख है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा भोपाल द्वारा निबंध प्रतियोंगिता–2022 का आयोजन किया जा रहा है जिसका विषय –''**पंचायत राज– उपलब्धियॉ तथा संभावनाय**'' **(Panchyat Raj-Achieyements and Prospects)** है।

अपने महाविद्यालय के समस्त छात्र / छात्राओं को उक्त प्रतियोगिता के संबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

छात्र / छात्राओं द्वारा निबंध भेजने की अंतिम तिथि दिनांक 31 जनवरी–2023 है । निबंध सीधे सचिव भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेयीय शाखा कमरा नं. जी–03 प्रशासन अकादमी 1100 क्वार्टरस भोपाल म.प्र. को भेजने हेतु निर्देशित करें ।

30.12.2022
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 3567 / 1140 / आउशि / सम. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30-12-22

प्रतिलिपिः–

सचिव भारतीय लोक प्रशासन संस्थान मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा कक्ष क्रमांक 3 आर. सी.व्ही पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी 1100 क्वार्टरस भोपाल म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।

30.12.2022
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

779
No.: L-201 22
AD (K) JD
Section समन्वय
Date 27 DEC 2022 C.H.E.

BY SPEED POST

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा
कक्ष कमांक 3, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा, प्रशासन अकादमी,
1100 क्वार्टरस्, भोपाल 462016
INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
MADHYA PRADESH AND CHHATISGARH REGIONAL BRANCH
CHAMBER NO.3, R.C.V.P.NORONHA ACADEMY OF ADMINISTRATION,
1100 QUARTERS, BHOPAL 462016
PHONE NO. (0755) 2461095 E-mail : iipa.mp@gmail.com

कमांक 116/भालोप्रसं/2022 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022

प्रिय श्रीमती शारदा वर्मा जी,

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा, भोपाल द्वारा **वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता 2022** का आयोजन किया जा रहा है । आपके द्वारा दिये जाने वाले सहयोग से ही महाविद्यालय तथा उसमें अध्ययनरत् छात्र–छात्रायें इस प्रतियोगिता से परिचित एवं लाभान्वित हो पाते हैं । संस्थान द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को निबन्ध प्रतियोगिता में सम्मिलित होने पर प्रमाण–पत्र भी दिया जाता है ।

इस वर्ष का निबन्ध प्रतियोगिता का विषय है **"पंचायत राज – उपलब्धियां तथा संभावनायें (Panchayat Raj – Achievements and Prospects)"** । आप से अनुरोध है कि आप इस निबन्ध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये छात्रों एवं छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को परिपत्र द्वारा सूचित करने का कष्ट करें । इस संदर्भ में भेजे जाने वाले परिपत्र का प्रारूप एवं सूचना की प्रति संलग्न किये जा रहे हैं । इस प्रतियोगिता से हमारे नवयुवाओं को इस विषय के बारे में चिन्तन करने का सुअवसर प्राप्त होगा । **निबन्ध भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2023 रखी गई है** ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार परिपत्र एवं प्रतियोगिता के संबंध में सूचना समस्त महाविद्यालयों को भेजने की कार्यवाही शीघ्र की जाये ।

सधन्यवाद ।

भवदीय,
19/12/22
(डी.पी.तिवारी)
मानसेवी सचिव
मोबाईल नम्बर 9425012607

प्रति,

श्रीमती शारदा वर्मा,
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़,
ब्लाक नं.3, तृतीय मंझिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
अटलनगर (छ.ग.) 942004

आयुक्त
महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय
छत्तीसगढ़

क्रमांक
प्रति,

रायपुर, दिनांक

प्राचार्य,
.... महाविद्यालय,
....

विषयः– <u>भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा, भोपाल द्वारा निबन्ध प्रतियोगिता 2022 के आयोजन के संबंध में</u> ।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा, भोपाल द्वारा **"<u>पंचायत राज – उपलब्धियां तथा संभावनायें (Panchayat Raj – Achievements and Prospects)</u>"** विषय पर एक निबन्ध प्रतियोगिता 2022 आयोजित की जा रही है । आप से अनुरोध है कि अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं को अपने विचार निबन्ध के रूप में उक्त संस्थान को भेजने के लिये प्रोत्साहित किया जाय । सभी प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र भी दिये जावेंगे । निबन्ध हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में भेजा जा सकता है । छात्र–छात्राओं के मार्गदर्शन के लिये विषय संबंधी विचारणीय बिन्दु संलग्न है । **<u>निबन्ध प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागी अपना स्वयं का पता एवं मोबाईल नम्बर लिखे जाने वाले निबन्ध पर स्पष्ट रूप से लिखें</u>** ।

<u>छात्र–छात्राओं के लिये निबन्ध भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2023 है</u> । **<u>किसी संस्था अथवा महाविद्यालय द्वारा अपने सदस्यों अथवा छात्र–छात्राओं के निबन्ध एक साथ भेजे जाते हैं तो वे 07 फरवरी, 2023 तक प्राप्त हो जाना चाहिये</u>** । **<u>नियत तिथि के बाद प्राप्त निबन्धों पर विचार नहीं किया जायेगा</u>** ।

निबन्ध भेजे जाने वाले लिफाफे पर शब्द "वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता 2022" अंकित करते हुए निबन्ध सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा, कमरा नं.जी–03, प्रशासन अकादमी, 1100 क्वार्टरस्, भोपाल 462016 के पते पर भेजा जाय ।

भवदीय

....

....

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा
कक्ष कमांक 3, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा, प्रशासन अकादमी,
1100 क्वार्टरस्, भोपाल 462016
INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
MADHYA PRADESH AND CHHATISGARH REGIONAL BRANCH
CHAMBER NO.3, R.C.V.P.NORONHA ACADEMY OF ADMINISTRATION,
1100 QUARTERS, BHOPAL 462016
PHONE NO. (0755) 2461095 E-mail : iipa.mp@gmail.com

वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता 2022

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा, भोपाल द्वारा निम्नलिखित विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है ।

पंचायत राज – उपलब्धियां तथा संभावनायें
(Panchayat Raj – Achievements and Prospects)

वर्ष 1993 में संविधान में संशोधन करते हुए पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है । इनके लिये पर्याप्त राशि प्रदान करने का प्रयास किया गया है । इसका आशय सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को स्वप्रशासन से जोड़ना था । क्या यह व्यवस्था इस उद्देश्य से सफल रही है ? आपका इस बारे में विचार क्या है, इस प्रतियोगिता के माध्यम से अवगत कराये ।

निबन्ध कम से कम 1500 शब्दों का होना आवश्यक है । अधिकतम सीमा 3000 शब्दों तक की रहेगी । अधिक छोटे तथा अधिक लम्बे लेख प्रथम दृष्टि में ही अस्वीकार कर दिये जायेंगे ।

सर्वोत्तम निबन्ध के लिये पुरस्कार रू.5,000/– है । द्वितीय पुरस्कार रू.3000/– तथा तृतीय पुरस्कार रू.2000/– का है । इसके अतिरिक्त पांच पुरस्कार एक–एक हजार रूपये के अगले पांच निबन्धों को दिये जायेगे । इस प्रकार कुल पुरस्कार आठ होंगे ।

निबन्ध किसी एक नाम से ही लिखा जाना चाहिए । दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर लिखे गये निबन्ध स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निबन्ध हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में हो सकते हैं पर मौलिक होना चाहिए । उनमें इस बात का प्रमाण मिलना चाहिए कि लेखक ने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है । केवल इतिहास लिखने अथवा विवराणात्मक तथा एक पक्षीय निबन्ध से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । लेखक कृपया अपने महाविद्यालय तथा निवास का

पता अवश्य लिखे । यदि मोबाईल हो तो उसका नम्बर भी लिखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सके ।

सभी निबन्ध साफ–सुन्दर शब्दों में पृष्ठ के एक ही ओर लिखे अथवा मुद्रित होना चाहिए । प्रतियोगियों के लिये विषय प्रवेश में सहायता देने के लिये नीचे कुछ बिन्दू दिये गये हैं जो केवल सहायता के लिये हैं तथा प्रतियोगी अपने विचार व्यक्त करने में इससे अलग स्वरूप अपना सकते हैं ।

भेजे जाने वाले लिफाफे पर ''**वार्षिक निबन्ध प्रतियोगिता 2022, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा** अंकित किया जाना चाहिए । सभी निबन्ध सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय, शाखा, कमरा नं.जी–03, प्रशासन अकादमी, 1100 क्वार्टरस्, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) 462016 को प्रेषित किये जाना चाहिए । **निबन्ध भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2023 रखी गई है** । यदि किसी संस्था अथवा महाविद्यालय द्वारा अपने सदस्यों अथवा छात्रों के निबन्ध एक साथ भेजे जाते हैं तो वे **07 फरवरी, 2023** तक प्राप्त हो जाना चाहिए । **नियत तिथि के बाद प्राप्त निबन्धों पर विचार नहीं किया जायेगा** ।

निबन्ध प्रतियोगिता मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्रतियोगियों के लिये हैं । यह घोषणा करना होगा कि लेखक इन राज्यों में से केवल एक राज्य का निवासी है । महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं से अपेक्षित है कि वे अपने महाविद्यालय के नाम के साथ–साथ अपने निवास का पता भी अवश्य लिखें ।

निबन्धों का परीक्षण संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षकों के द्वारा किया जायेगा जिसका निर्णय संस्थान की कार्यकारिणी द्वारा लिया जायेगा । संस्थान को यह अधिकार होगा कि यदि कोई भी निबन्ध मान्य स्तर का नहीं है तो कोई पुरस्कार नहीं दिया जायेगा । साथ ही पुरस्कार की राशि को संयुक्त विजेताओं में बांटा जा सकता है । पुरस्कार प्राप्त निबन्ध संस्थान तथा लेखक की संयुक्त संपत्ति होगी । संस्थान द्वारा लिये गये सभी निर्णय बंधनकारी होंगे तथा उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकेगी । निबन्ध भेजने का अर्थ होगा कि यह प्रावधान निबन्ध भेजने वालों द्वारा मान्य है ।

(डी.पी.तिवारी)
सचिव
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा,
भोपाल (म.प्र.)

परिच्यातमक लेख

पंचायत प्रणली भारत में वैदिक काल से ही चली आ रही है। और यही एक संस्था है जो कि हर काल में ग्रामवासियों का प्रतिनिधित्व करती रही है। १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायतीराज को सही अर्थों में स्थापित करने के कई प्रयास हुये और कुछ पंचायतों ने बहुत अच्छा कार्य भी किया। परन्तु इन को वैधानिक संविधानिक दर्जा १९९३ में ~~२४वें~~ 73वें संशोधन के साथ ही प्राप्त हुआ। इन संशोधन के माध्यम से तीन स्तरीय पंचायतीराज संगठन की कल्पना की गई है। इस के अतिरिक्त, प्रत्येक गांव के लिये ग्राम सभा का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तथा जिला पंचायत के सदस्यों को मतदाताओं द्वारा चुना जाये गा। इन पंचायतों में सदस्यों तथा चेयरमैन के पद के लिये महिलाओं, अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति के लिये स्थान आरक्षित किये गये हैं। पूरे देश में लगभग २,५०,००० ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं।

पंचायतीराज के इस संकल्प को लागू हुये ३० वर्ष हो चूके हैं। और अब इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि इन पंचायतों के माध्यम से क्या उपलब्धियां हुई है? और आगे भविष्य में इनकी क्या संभावनायें हैं।

यह बताना आवश्यक होगा कि इन पंचायतीराज संस्थाओं को सक्षम बनाये रखने के लिये संविधान में ही कई प्रावधान किये गये हैं। जैसे कि हर राज्य में एक राज्य चुनाव आयुक्त हो गा जो इन निकायों के चुनाव का कार्य देखे गा। इसके अतिरिक्त हर ५ साल में एक वित्तीय आयोग स्थापित किया जाये गा, जो कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दिये जाने वाले धनराशि के बारे में अनुशंसा प्रस्तुत करे गा। ये प्रावधान भी किया गया है कि कोई भी पंचायती संस्था छह महीने से ज्यादा स्थगित नहीं रखी जा सकती। इस से चुनाव कराया जाना अनिवार्य सा है।

इस संबंध में कई बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है जिन में से प्रमुख इस प्रकार है।

१. क्या पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि रहती है जिस से वे योजनायें बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की कार्रवाई कर सके।

२. क्या इन पंचायतों के पास इतना स्टाफ उपलब्ध है जो इस को सौंपे हुये कार्य की देखरेख कर सके।

३. क्या ग्राम सभाओं का संचालन सही तरीके से हो रहा है और इन की नियमित बैठक की जाती है।

४. संविधान के अनुसार प्रत्येक ज़िले के लिये एक जिला योजना मंडल भी बनाया गया है जो कि नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बारे में योजना बनाये गा। . क्या ये मण्डल सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं।

५. अभी तक की पंचायती राज़ की उपलब्धियों क्या रही है तथा क्या वे संतोषजनक है?

६. क्या पंचायतीराज के माध्यम से सभी नागरिको को अपने विचार व्यक्त करने तथा अपने ग्राम के बारे में योजनायें बनाने में सफलता मिली है।

७. भविष्य में ऐसे कौन से सुधार किये जा सकते हैं जिस से पंचायतीराज संस्था वास्तविक रूप से सभी नागरिको का प्रतिनिधित्व कर सके तथा योजनायें बनाने में दक्षता प्राप्त कर सके।

८. पंचायतीराज का अंतिम लक्ष्य क्या है तथा क्या हम इसकी और बढ़ रहे हैं।

सभी विषयों पर विचार करने के लिये इस निबंध की आयोजन किया गया है जिस मे आप के व्यक्तिगत अनुभव तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पर विचार करना हो गा।